**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1835**

**शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**घरेलू विनिर्माण के प्रोत्साहन की योजना**

**1835. श्रीमती अम्बिका सोनीः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और आयात में कमी करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौता वाले देशों के माध्यम से आयात के विपथन की निगरानी के लिए कौन-कौन से एहतियाती कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) और (ख):** उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना सरकार का एक सतत प्रयास है। हाल ही में, सरकार ने चल रही योजनाओं के अलावा, भारत के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

1. ***अवसंरचना:***

**(i)** राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी)दिसंबर, 2019 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरान भारत में अवसंरचना क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय के रूप में 102 लाख करोड़ रुपये व्‍यय का प्रस्ताव किया गया है।

**(ii)** भारत में लॉजिस्टिक्‍स लागत को कम करने के लिए, बजट 2020-21 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्‍स नीतिजारी करने की घोषणा की गई ।

**(iii)** राजमार्गों का त्वरित विकास कियाजा रहा है। इसमें 2500 किलोमीटर तक पहुंच नियंत्रण राजमार्ग, 9000 किमी के आर्थिक कॉरीडोर, 2000 किलोमीटर के तटीय और भूमि बंदरगाह सड़कों और 2000 किलोमीटर के रणनीतिक राजमार्गों का विकास शामिल होगा।

1. **कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती:** वित्त वर्ष 2019-20 से आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है, जो किसी भी घरेलू कंपनी को इस शर्त पर 22% की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प देता है कि वे कोई छूट/प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेंगे। 01.10.2019 को या इसके बाद शामिल की गई नई विनिर्माण कंपनियों के लिए, दर को 15 प्रतिशत तक कम किया गया था। बजट 2020-21 में घोषणा की गई कि नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर में 15 प्रतिशत की कमी का लाभ नई विद्युत उत्पादन कंपनियों को भी दिया जाएगा।

1. ***स्टार्ट-अप्स:*** सरकार प्रारंभिक स्तर के स्टार्ट-अप्स को नवधारणा सहायता और विकास के लिए प्रारंभिक निधि सहित शुरुआती चरण में वित्तपोषण करने का प्रस्ताव करती है। इसके अलावा, समयावधि, जिसमें 10% से अधिक इक्विटी शेयरों को रखने वाले प्रोमोटरों या निदेशकों को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्‍स द्वारा कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) जारी किया जा सकता है, को उनके निगमन की तिथि से 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।

1. ***एनबीएफसी और बैंकों की लिक्विडिटी समस्याओं को कम करने के लिए,*** सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान करने की घोषणा की, केंद्रीय बजट 2019-20 के बाद एनबीएफसी के लिए एक आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना तैयार की और 10 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का चार बैंकों में विलय कर दिया।
2. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय:

(i) घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बजट 2020-21 मेंकुछ व्यापार नीति के उपायों की घोषणा की गई जिनमें फुटवियर, खिलौने और फर्नीचर पर **बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) बढ़ाना;** संवेदनशील आयातों के लिए नियमों के मूल मानदंडों के सख्त प्रवर्तन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन; सुरक्षा शुल्‍क और पाटनरोधी शुल्‍क को मजबूत करना आदि शामिल हैं।

(ii) घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पाद नीति (डीएमआईपी एवं एसपी) को सरकारी संगठनों द्वारा घरेलू उत्पादित इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है। सरकार ने इस्पात और इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण (क्‍यूसी) आदेशों को अधिसूचित किया है और इस्पात आयात की निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) की शुरुआत की है।

(iii) खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण की सिफारिश पर सरकार ने विभिन्न देशों के विभिन्न उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है।

(iv) मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से, सरकार ने नियमित **हितधारकों से परामर्श** किया और वाणिज्य और उद्योग के शीर्ष चैम्बर्स उद्योग संघों, निर्यातकों, व्यापार विशेषज्ञों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों से इनपुट प्राप्त किए।

**(ग)** : भारत के मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के अंतर्गत सामान्य मूल नियम और उनके प्रवर्तन, गैर-एफटीए देशों से आयात के परिवर्तन को रोकता है। इस सामान्य नियम में टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन और मूल्यवर्धन मानदंड दोनों शामिल हैं। इसके अलावा, एफटीए के अंतर्गत आयात के लिए मूल नियमों को सत्यापित करने के लिए आयातक पर बोझ डालने के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में नए प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सत्यापन अनुरोधों को अधिमान्य शुल्क के दावे की तिथि से 5 वर्ष तक किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*